<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 24/2021

(सी.आई.एस. नं.-24/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- श्याम पुत्र रमेशचन्द, उम्र 25 वर्ष, निवासी महूवाखेड़ा हाल निवास थाने के पास सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

2- सोनू सुमन पुत्र बाबूलाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी बालापुरा मोहल्ला, सारोला कलां, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

3- श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी घनश्याम, उम्र 41 वर्ष, निवासी बोरखेड़ी हाल निवास थाने के पास सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) – (मफरूर)

– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 302 अथवा 302/34 भा.दं.सं.
एवं धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री गौरव मोमिया, अधिवक्ता, अभियुक्त श्याम की ओर से।

3- श्री मोहम्मद हारिस, अधिवक्ता अभियुक्त सोनू सुमन की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः- 28.04.2026**

नोटः- प्रकरण में अभियुक्ता **श्रीमती गुड्डीबाई** अभी मफरूर है तथा प्रकरण में शेष अभियुक्तगण श्याम व सोनू सुमन के संबंध में निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.12.2020 को जरिये मोबाईल सूचना मिली कि ग्राम बोरखेड़ी के पास एक कुंए में एक व्यक्ति सियाराम की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर मन् एस.एच.ओ. मय जाप्ता के माल मौजा बोरखेड़ी रवाना होकर पहुंचा, जहां पर ग्राम वासियान की मदद से कुंए से सियाराम मीणा की पानी तोड़कर लाश को बाहर निकाला, जहां पर परिवादी पप्पूलाल पुत्र हरीलाल उर्फ हरलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी चांदनिया खेड़ी द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1), इस आशय के तथ्यों की पेश की कि वह गांव बोरखेड़ी का रहने

वाला है। वे चार भाई है, सबसे बड़ा गिरीराज जो मनोहरथाना निवास करता है, दूसरा वह तथा तीसरा घनश्याम एवं चौथा सियाराम है। वह चान्दनिया खेड़ी रहता है। घनश्याम व सियाराम बोरखेड़ी रहते है। कल दिनांक 06.12.2020 को शाम को उसका भाई सियाराम खाना खाकर खेत पर फसल की रखवाली करने के लिये शाम को करीब 6-7 बजे गया था, जो सुबह तक भी घर पर नहीं आया। फोन किया तो बन्द आ रहा था। उसके भाई घनश्याम की पत्नी गुड्डीबाई व उसके पास काम करने वाला श्यामलाल भील, निवासी महुवाखेड़ा ने सियाराम की पत्नी को सुबह करीब 6-7 बजे घर आकर बताया कि सियाराम खेत पर नहीं है, उसको मार कर कुआ में डाल दिया। इस पर उसके भाई की पत्नी कृष्णा व अन्य गांव वाले खेत पर गये तो कुआ के पास आम के पेड़ के नीचे खून ही खून हो रहा था, जिस पर पानी डाला हुआ है तथा खून की जगह से कुआ तक घसीटने के निशान है। कुआ की मुन्डेर पर मफलर पड़ा था। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई, गांव वालों की मदद से कुआ का पानी तोड़ा, तो उसके भाई की लाश कुआ में नजर आई, जिसको गांव वालों की मदद से बाहर निकाला। उसके भाई के सिर में चार-पांच जगह गम्भीर चोटें है। उसके भाई को मार कर कुआ में डाला है। तीन दिन पहले गुड्डी व श्यामलाल ने गाली-गलौच की रिपोर्ट सियाराम के खिलाफ भी सारोला थाना में करवाई थी, जिस पर कार्तिक सिपाही बोरखेड़ी गया था, जो समझाकर गया था। पानी सिंचाई सरसों देने के बारे में इन गुड्डी व सियाराम के गाली-गलौच हुआ और रात को पता चला की सियाराम को कुआ पर खेत में मार कर डाला, इत्यादि।

2- उक्त तथ्यों की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सारोला कलां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-306/2020, अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 02.02.2021 को अभियुक्तगण श्याम व गुड्डीबाई के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. अभियुक्त सोनू सुमन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 06.10.2021 को अभियुक्तगण श्याम व गुड्डीबाई को धारा 302 विकल्प में 302/34 भा.दं.सं. तथा अभियुक्त सोनू सुमन को धारा 302 विकल्प में 302/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट

के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन-समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 पप्पूलाल, पी.ड.-2 विमलेश्वर, पी.ड.-3 कालूलाल पुत्र अमरलाल, पी.ड.-4 प्रेमचन्द, पी.ड.-5 गिरीराज, पी.ड.-6 कालूलाल पुत्र प्रेमचन्द, पी.ड.-7 रामभरोस, पी.ड.-8 भोजराज, पी.ड.-9 कार्तिक सिंह, पी.ड.-10 डॉ. शिवलाल मीणा, पी.ड.-11 सीमा, पी.ड.-12 बालूराम, पी.ड.-13 हरिराम, पी.ड.-14 कस्तरीबाई, पी.ड.-15 राजीव परिहार, पी.ड.-16 डॉ. शैलेन्द्र कुमार मेहता, पी.ड.-17 दिनेश कुमार, पी.ड.-18 नवीन कुमार, पी.ड.-19 विनोद कुमार व पी.ड.-20 बिहारीलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा मृतक सियाराम प्रदर्श पी.-2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-3, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-4, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक सियाराम प्रदर्श पी.-5, फर्द जब्ती खून आलूदा एवं सादा मिट्टी प्रदर्श पी.-7, फर्द जब्ती पत्थर प्रदर्श पी.-8, फर्द जब्ती शॉल व मफलर प्रदर्श पी.-9, पुलिस बयान रामभरोस प्रदर्श पी.-10, फर्द गिरफ्तारी मुल. श्याम प्रदर्श पी.-11, फर्द गिरफ्तारी मुल. गुड्डीबाई प्रदर्श पी.-12, फर्द गिरफ्तारी मुल. सोनू प्रदर्श पी.-13, फर्द बरामदगी व जब्ती पत्थर बकब्जे मुल. श्याम प्रदर्श पी.-14, फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-15, फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-16, फर्द जब्ती लट्ठ बकब्जे मुल. सोनू प्रदर्श पी.-17, फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-18, फर्द जब्ती मोटर साईकिल बकब्जे मुल. सोनू प्रदर्श पी.-19, फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-20, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-21, पुलिस बयान कसतुरीबाई प्रदर्श पी.-22, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.-23, जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-24, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-25, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-26, जमा रसीद प्रदर्श पी.-27, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-28, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-29, रसीद प्रदर्श पी.-30, मूल मालखाना रजिसटर प्रदर्श पी.-31, जिसकी प्रति प्रदर्श पी.-31ए को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया।

5- साक्ष्य अभयोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में गवाह डी.ड.-1 सोनू को परीक्षित

करवाया गया तथा अन्य कोई सफाई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किये जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गयी।

6- बहस अन्तिम के प्रक्रम पर अभियुक्ता **श्रीमती गुड्डीबाई** के न्यायालय से अनुपस्थित होने पर उसके जमानत मुचलके जब्त सरकार किये गये तथा अभियुक्ता के लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रहने से उसे मफरूर घोषित किया गया, जो वर्तमान में मफरूर है।

7- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

8- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के भाई सियाराम के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है, रंजिशवश झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, जिसने अभियुक्तगण को परिवादी के भाई मृतक सियाराम के साथ मारपीट करते हुए देखा हो, मात्र शक के आधार पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी पी.ड.-1 पप्पूलाल ने स्वयं द्वारा घटना उसके समक्ष होने से इन्कार किया है। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.-7 रामभरोस व पी.ड.-14 कस्तुरीबाई पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक साक्षीगण पी.ड.-10 डॉ. शिवलाल मीणा व पी.ड.-16 डॉ. शैलेन्द्र कुमार मेहता ने मृतक सियाराम की मृत्यु पानी में डूबने से होना बताया है। प्रकरण में बरामदगी के भी कोई स्वतन्त्र साक्षीगण नहीं है। अन्य गवाहान औपचारिक साक्षीगण है, जिन्होंने औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.12.2020 को शाम के करीब 7.00 बजे अथवा इसके लगभग ग्राम मौजा बोरखेड़ी में परिवादी के भाई सियाराम की हत्या कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए ऐसी परिस्थितियों में मारपीट कर उपहतियां कारित की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्त सोनू सुमन द्वारा परिवादी के भाई सियाराम के जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, उसकी हत्या कारित कर धारा 302 भा.दं.सं., जिसमें मृत्यु दण्ड तक की सजा का प्रावधान है, का अपराध कारित किया ?"

11- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिसमें से गवाह पी.ड.-1 पप्पूलाल स्वयं परिवादी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल भर पुरानी बात है। वह चांदनियाखेडी रहता है। वे गिरराज, वह, घनश्याम, सीयाराम चार भाई है। उसका भाई सीयाराम खेत पर रखवाली करने 6-7 बजे गया था जो सुबह तक नहीं आया। फिर उन्होंने उसको तलाश किया तो उसका फोन बन्द आ रहा था। फिर वे उनके भाई को खेत पर ढूंढने गये थे। उसके भाई की पत्नी, वह और हाली उसको ढूंढने गये थे। फिर उसका भाई उन्हें डूंगर के पास खेत में स्थित कुंए में मरा हुआ मिला था। कुंए के पास एक पेड था, जिसके पास खून हो रहा था। पेड से लेकर कुंए तक घसीटने के निशान थे। फिर उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके भाई की लाश को 5-6 व्यक्ति ने कुंए से बाहर निकाला था। उसके भाई के सिर में चोटें थी। इस घटना के पहले गुडडी बाई व श्यामलाल के बीच गाली-गलोच व लडाई-झगडा हुआ था, जिसकी थाना में रिपोर्ट हुई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना सारोला में की गई, जो प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा उसके सामने बनाया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल सीयाराम का खेत का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये **प्रतिपरीक्षण** में स्वीकार किया है कि वह और उसका मृतक भाई अलग-अलग गांव में रहते थे। दोनों गांवों के बीच की दूरी 12-13 किलोमीटर के आसपास है। आगे स्वीकार किया है कि घटना उसके सामने नहीं घटी थी। आगे स्वीकार किया है कि उसके भाई की मृत्यु से पहले सोनू का नाम भी नहीं सुना, ना देखा था और ना ही

उसके भाई के गांव में आता-जाता भी था। आगे स्वीकार किया है कि सियाराम की लाश कुंए में से मिली थी और उसे बाहर निकाला था। आगे स्वीकार किया है कि उसके भाई को किसने मारा, कैसे मारा यह उसके सामने नहीं हुआ। आगे स्वीकार किया है कि उसने शक श्यामलाल और उसकी पत्नी पर जताया था। आगे स्वीकार किया है कि उसे सारी बात पुलिस ने बतायी थी कि कैसे क्या हुआ। आगे स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में उसने शक गुड्डीबाई और श्यामलाल पर जताया था।

12- गवाह पी.ड.-2 विमलेश्वर तहरीरी रिपोर्ट केरियर का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 को थाना सारोला में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थानेदार जी रघुवीर सिंह के पास फोन आया कि बोरखेडी के माल में एक कुंए में एक आदमी को मारकर डाल दिया है। जिस पर वह व थानेदार जी मय जाप्ता मौके पर गये। वहां कुंए से लाश को बाहर निकाला। फिर मृतक के भाई पप्पूलाल ने एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट थानेदार जी को दी और थानेदार जी ने उसे वो तहरीरी रिपोर्ट दी और कहा कि थाने पर जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर वापस एफ.आई.आर. लेकर मौके पर आना। जिस पर वह तहरीरी रिपोर्ट लेकर घटनास्थल से रवाना होकर थाने पर गया व ए.एस.आई. बिहारीलाल जी को उक्त तहरीरी रिपोर्ट दी, जिस पर उन्होंने थाने पर मुकदमा सं.-306/2020, धारा 302/34 भा.दं.सं. में दर्ज किया। उसके बाद एफ.आई.आर. लेकर वह घटनास्थल पर गया और थानेदार रघुवीर सिंह जी को एफ.आई.आर. दी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके सामने घटना स्थल देखा गया था और इसके अलावा उसके सामने पप्पूलाल ने तहरीर दी थी जिसे लेकर वह थाने पर आया था।

13- गवाह पी.ड.-3 कालूलाल फर्द पंचनामा लाश का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले पुलिस ने मृतक सियाराम की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है।

14- गवाह पी.ड.-4 प्रेमचन्द फर्द पंचनामा व सुपुर्दगी लाश का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले पुलिस ने मृतक सियाराम की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता

अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी.-2 व 5 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे।

15- गवाह पी.ड.-5 गिरीराज परिवादी का भाई व फर्द पंचायतनामा व सुपुर्दगी लाश का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 की बात है। पुलिस ने उसके सामने मृतक सियाराम की लाश का फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-2 व पी.-5 पर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने पर करवा लिये थे।

16- गवाह पी.ड.-6 कालूलाल पुत्र प्रेमचन्द फर्द पंचायतनामा, नक्शा मौका, फोटोग्राफी व विड़ियोग्राफी एवं जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब साल-डेढ साल पहले की बात है। उसके मामाजी सियाराम जी की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उसके सामने मृतक सियाराम की लाश का फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतक सियाराम की लाश की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की, जिसकी फर्द फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी मृतक सियाराम प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से सादा मिट्टी व खुन आलुदा मिट्टी जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती खून आलुदा एवं सादा मिट्टी प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पत्थर जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा एक शॉल व एक मफलर जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2, 3, 6 लगायत 9 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने थाने पर ही करवा लिये थे।

17- गवाह पी.ड.-7 रामभरोस फर्द नक्शा मौका, फोटोग्राफी व वीड़ियोग्राफी एवं जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब डेढ साल पहले की बात है। वह खेत पर गया हुआ था। सुबह 7-8 बजे करीब खेत से वापस आया, तो रास्ते में कुंए पर बहुत सारे लोग खडे थे और पुलिस भी खडी थी। वहां पर सियाराम की लाश भी रखी हुयी थी। वहां खून हो रहा था तो पुलिस ने कार्यवाही की और वहां से लाश उठाकर पुलिस वाले ले गये। उसके बाद उसे पता नहीं क्या

हुआ। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतक सियाराम की लाश की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की, जिसकी फर्द फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी मृतक सियाराम प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से सादा मिट्टी व खुन आलुदा मिट्टी जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती खून आलुदा एवं सादा मिट्टी प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पत्थर जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगा एक शॉल व एक मफलर जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

18- गवाह पी.ड.-8 भोजराज फर्द फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी व फर्द गिरफ्तारी व जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 को थाना सारोला में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-306/2020, अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीर सिंह के कहने पर उसने मृतक सियाराम की लाश की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी उसके मोबाइल से की थी, फर्द फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी मृतक सियाराम प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके समक्ष मुलजिम श्याम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। फर्द गिरफ्तारी गुड्डीबाई प्रदर्श पी.-12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सोनू प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी व जब्ती पत्थर मुलजिम श्याम से जब्त प्रदर्श पी.-14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक मौका प्रदर्श पी.-16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल खुला हुआ स्थान है।

19- गवाह पी.ड.-9 कार्तिक सिंह फर्द गिरफ्तारी व जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 09.12.2020 को थाना सारोला में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-306/2020, अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीर सिंह द्वारा उसके समक्ष मुलजिम श्याम

को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी व जब्ती पत्थर मुलजिम श्याम से जब्त प्रदर्श पी.-14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-15 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती एक लट्ठ मुलजिम सोनू प्रदर्श पी.-17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी मौका प्रदर्श पी.-18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मोटर साईकिल मुलजिम सोनू से जब्त प्रदर्श पी.-19 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी मौका प्रदर्श पी.-20 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जब्ती का कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है तथा सोनू से जो लकड़ी जब्त की उसका कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है।

20- गवाह पी.ड.-10 डॉ. शिवलाल मीणा व पी.ड.-16 डॉ. शैलेन्द्र कुमार मेहता चिकित्सक साक्षीगण है, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सारोलाकलां में क्रमशः वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाना सारोलाकलां के प्रतिवेदन पर मेडीकल बोर्ड के द्वारा मृतक सियाराम पुत्र हरिलाल, उम्र 40 साल, निवासी बोरखेडी का पोस्टर्मोटेम किया गया, जिसके चोटें निम्न प्रकार से है- चोट सं.-1 कुचला हुवा घाव थक्का जमा हुवा साईज 6*3 सेमी* हडडी की गहराई तक सिर के पीछे। चोट सं.-2 कुचला हुवा घाव थक्का जमा हुवा साईज 2*1 सेमी* हडडी की गहराई तक सिर के दांयी तरफ। चोट सं.-3 कुचला हुवा घाव थक्का जमा हुवा साईज 8*2 सेमी* हडडी की गहराई तक सिर के बीच में। चोट सं.-4 कुचला हुवा घाव थक्का जमा हुवा साईज 4*2 सेमी* हडडी की गहराई तक सिर के बांयी तरफ व चोट सं.-5 कुचला हुवा घाव थक्का जमा हुवा साईज 7*2.5 सेमी* हडडी की गहराई तक सिर के ललाट पर। उपरोक्त चोटें कुंदालय हथियार से कारित थी। दाहिने सिर पर खून का थक्का जमा हुवा था और बाएं पेराइटल बोन व फ्रंटल बोन पर फ्रेक्चर था। दाहिनी पेराइटल बोन पर हेमाटोमा और सिर के पीछे की ओर सबअर्कलोइड हैमरेज था। उनकी द्वारा राय एफ.एस.एल. और डाइटम के बाद दी जायेगी। एफ.एस.एल. और डाइटम रिपोर्ट के बाद राय में मृतक की मृत्यु डुबने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम से 24 घण्टे पहले होना प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-21 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी एफ.एस.एल. व डाइटम की राय है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त दोनों ही गवाहान ने कथन किया है कि उक्त कुछ चोटें कठोर

धरातल पर गिरने से भी आ सकती है और मृतक को इतनी सारी चोटें कुंए में गिरने से नहीं आ सकती, कुछ चोटें आ सकती है। आगे स्वीकार किया है कि पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हुई हो।

21- गवाह पी.ड.-11 सीमा फर्द गिरफ्तारी की साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 09.12.2020 को पुलिस थाना सारोलाकलां में महिला कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-306/20, अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री रघुवीर सिंह द्वारा अभियुक्ता गुडडीबाई को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-12 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता की निशानदेही से घटनास्थल तस्दीक कराया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-16 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि दोनों फर्दो के गवाह पुलिस कर्मी है और गुड्डीबाई को पुलिस थाना सारोला कलां पर गिरफ्तार किया था। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस थाना सारोला कलां के आस-पास आबादी क्षेत्र है, जहां पर कई लोग रहते है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसे कोई स्वतन्त्र गवाह बुलाने हेतु लिखित हुक्मनामा नहीं दिया था।

22- गवाह पी.ड.-12 बालूराम फर्द जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.12.2020 को पुलिस थाना सारोलाकलां में कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-306/20, अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव परिहार वृत्ताधिकारी वृत्त खानपुर द्वारा मुलजिम सोनू सुमन से एक लटठ बतौर वजह सबूत जब्त किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-17 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी मौका प्रदर्श पी.-18 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम सोनू से एक मोटर साईकिल अभियुक्ता गुडडीबाई के घर से जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-19 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-20 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि लकडी उन्होंने बोरखेडी माल नई नहर के पास से दिनांक 14.12.2020 को जब्त की थी तथा नक्शा मौका व जब्ती बनाते समय उसके साथ कार्तिक कानि., मुलजिम सोनू व डिप्टी साहब श्री राजीव परिहार जी थे तथा जब्ती का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। आगे कथन किया है कि मोटर साईकिल नं.-आर.जे. 17 एस.यू. 6079 गुडडीबाई के रिहायशी मकान से जब्त की थी।

23- गवाह पी.ड.-13 हरिराम फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.12.2020 को पुलिस थाना सारोलाकलां में कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-306/20, अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव परिहार वृत्ताधिकारी वृत्त खानपुर द्वारा मुलजिम सोनू सुमन को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि मुलजिम को पुलिस थाना सारोला पर गिरफ्तार किया था और इस फर्द के दोनों गवाह पुलिसकर्मी है। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस थाना सारोला के आस-पास आबादी क्षेत्र व दुकानात है, जहां पर कई लोग निवास करते है तथा उसे कोई लिखित हुक्मनामा बाबत स्वतंत्र गवाह ढूंढने हेतु नहीं दिया था।

24- गवाह पी.ड.-14 कस्तुरीबाई परिवादी व मृतक की माता है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की व उसके बयान नहीं लिये। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुई है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

25- गवाह पी.ड.-15 राजीव परिहार अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.12.2020 को वृत्ताधिकारी, वृत्त खानपुर के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना सारोला के प्रकरण सं.-306/20, अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. की पत्रावली में धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट एड होने के कारण उसे पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण में उससे पूर्व अनुसंधान रघुवीर सिंह, एस.एच.ओ. सारोला द्वारा किया था। उनके द्वारा किये गये अनुसंधान की ताईद करते हुए, दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान रामभरोस, कस्तुरीबाई के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। बाद अनुसंधान मुलजिम सोनू सुमन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 भा.दं.सं. व धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम से एक लटठ बरामद व जब्त किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-17 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। बरामदगी स्थल लटठ प्रदर्श पी.-18 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी

से एच उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम से अपराध में लिप्त एक मोटर साईकिल जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-19 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-20 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसक हस्ताक्षर है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम द्वारा दी गई सूचना अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.-23 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-24 है। बाद अनुसंधान मुलजिम के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में थानाधिकारी रघुवीर सिंह द्वारा पेश किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.-17 खुला स्थान निर्जन स्थान था। आगे स्वीकार किया है कि सोनू से जो लाठी व मोटर साईकिल बरामद की, उसके स्वतंत्र मौतबिर उपलब्ध/तैयार नहीं होने के कारण जाब्ते में से पुलिसकर्मी को गवाह बनाया गया था।

26- गवाह पी.ड.-17 दिनेश कुमार एफ.एस.एल. केरियर का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.12.2020 को थाना सारोला पर कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, मालखाना इन्चार्ज विनोद कुमार हैड कानि. द्वारा थाने के प्रकरण सं.-306/2020 में जब्त सीलशुदा 07 पैकेट्स मार्क ए से जी तक एस.पी. साहब के माध्यम से एफ.एस.एल. जयपुर जमा कराने हेतु थाने के अग्रेषण पत्र के साथ उसे संभलाया था। इन्हें लेकर वह एस.पी. कार्यालय आया, वहां से एस.पी. साहब से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफ.एस.एल. जयपुर गया था। जहां सीलशुदा सातों पैकेट्स जमा कराकर रसीद प्राप्त की, वापसी थाने का रसीद मालखाना इन्चार्ज को संभला दी थी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-25 है व एस.पी. साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-26 है। जमा रसीद प्रदर्श पी.-27 है। उसकी थाने से रवानगी व वापसी की रोजनामचे की प्रति शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है।

27- गवाह पी.ड.-18 नवीन कुमार एफ.एस.एल. केरियर का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.12.2020 को थाना सारोला पर कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-306/2020 में जब्त तीन पैकेट्स सीलशुदा मार्क ए, बी, सी उसने मालखाने से लिये थे। थाने का अग्रेषण पत्र लेकर मय माल वह कार्यालय पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ पहुंचा, जहां से कार्यालय पुलिस

अधीक्षक का अग्रेषण पत्र लेकर माल जमा कराने एफ.एस.एल. कोटा गया था। माल जमा कराकर रसीद क्रमांक-681/2020 दिनांक 18.12.2020 लाकर मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द की थी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-28 है। कार्यालय एस.पी. साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-29 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रसीद प्रदर्श पी.-30 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है।

28- गवाह पी.ड.-19 विनोद कुमार मालखाना इन्चार्ज है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 को थाना सारोला पर हैड़ कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए, मालखाना इन्चार्ज था। श्री रघुवीर सिंह, एस.एच.ओ. साहब द्वारा 6 पैकेट्स व श्रीमान् सी.ओ. साहब खानपुर द्वारा एक पैकेट व एक मोटर साईकिल जमा मालखाना की थी। उक्त प्रकरण में एम.ओ. साहब, सी.एच.सी. सारोला कलां द्वारा जब्तशुदा जार मार्क एक्स, वाई, जेड़ को उसने मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर माल के दस पैकेट्स को जमा किया तथा मोटर साईकिल को थाना परिसर में खड़ी करवाई थी, जिसका इन्द्राज उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के क्रमांक-327 दिनांक 07.12.2020 को किया था। दिनांक 17.12.2020 को थानाधिकारी के निर्देशानुसार मुकदमा नं.-306/2020 के सीलशुदा 07 पैकेट्स मय अग्रेषण पत्र के श्री दिनेश कानि. 1461 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर तथा दिनांक 18.12.2020 को तीन जार एक्स, वाई, जेड़ को श्री नवीन कानि. 1372 को संभलाकर परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. कोटा में जमा कराने हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ के प्रयोगशाला कोटा रवाना किया था। दिनेश कुमार कानि. द्वारा दिनांक 20.12.2020 को उक्त मुकदमा नंबर की जमा कर रसीद 20569 दिनांक 18.12.2020 पेश की व नवीन कानि. द्वारा माल जमा कराकर रसीद क्रमांक-1862 दिनांक 18.12.2020 पेश की, जिनको बाद में अनुसंधान अधिकारी को संभलाई थी। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.-31 है व जिसकी प्रति प्रदर्श पी.-31ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसे सभी सातों पैकेट्स सीलबद्ध अवस्था में मिले थे।

29- गवाह पी.ड.-20 बिहारीलाल एफ.आई.आर. दर्ज करने का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.12.2020 को थाना सारोला कलां पर ए.एस.आई. के पद पर तैनात रहते हुए, उसे श्रीमान् थानाधिकारी महोदय द्वारा विमलेश्वर कानि. द्वारा प्रार्थी पप्पूलाल पुत्र हरिपाल के द्वारा दी हुई रिपोर्ट को

मुकदमा दर्ज करने हेतु थाना हाजा पर भेजा था। उसी रिपोर्ट पर उसके द्वारा इंडोस्मेंट लगाकर मुकदमा नं.-306/2020, धारा 302/34 भा.दं.सं. में दर्ज कर एफ.आई.आर. दर्ज कर मूल प्रार्थना पत्र की कॉपी विमलेश्वर कानि. को देकर कार्यवाही हेतु थानाधिकारी महोदय को भिजवायी, जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी पप्पूलाल के दो जगह हस्ताक्षर और सी से डी विमलेश्वर कानि. के हस्ताक्षर तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जो प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी स्थान पर विमलेश्वर कानि. के हस्ताक्षर और सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान के लिये तहरीर रिपोर्ट और एफ.आई.आर. को अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द की थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है।

30- प्रतिरक्षा साक्ष्य में गवाह डी.ड.-1 सोनू स्वयं अभियुक्त है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5 साल पहले की बात है। गुड्डीबाई के मोबाईल से उसके पति घनश्याम का फोन उसके पास आया था। घनश्याम ने उसे तुरन्त बुलाया था। वह उस समय अपने घर पर था। फिर वह बोरखेड़ी गांव गया। वहां पर श्यामलाल और घनश्याम दोनों ने उसके साथ गाली-गलौच की और कहा कि उसने गुड्डीबाई को ले जाकर उनके खिलाफ सारोला थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई। फिर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। फिर वह वहां से डरकर भाग गया था। फिर दो दिन बाद उसे पुलिस का फोन आया। जब वह थाने गया तो पुलिस ने उसे वहां गिरफ्तार कर लिया और उसे जैल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद जब वह जैलसे छुटा तो उसे पता चला कि उसे सियाराम की हत्या के केस में झूंठा मुलजिम बनाया है। उसके बाद से ही घनश्याम उसके भाई सियाराम की हत्या करके फरार हो गया। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि पुलिस ने उससे कोई बांस की लकड़ी जब्त की हो। प्रदर्श पी.-17 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर नहीं है। आगे इस सुझाव को भी गलत होना बताया है कि पुलिस ने उसके सामने घटना का कोई नक्शा मौका बनाया हो। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-18 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। इस सुझाव को गलत होना बताया है प्रदर्श पी.-19 फर्द जब्ती मोटर साईकिल उसके समक्ष बनाई हो। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसने सियाराम को मारा हो।

31- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाये, तो हस्तगत प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 मृतक के

भाई पप्पूलाल द्वारा इस आशय की दी गयी है कि मृतक सियाराम फसल की रखवाली हेतु दिनांक 06.12.2020 को शाम 6-7 बजे गया था और दिनांक 07.12.2020 को अभियुक्ता गुड्डीबाई व उसके पास काम करने वाले अभियुक्त श्यामलाल ने सुबह 6-7 बजे करीब सियाराम की पत्नी को बताया कि सियाराम खेत पर नहीं है, उसे मारकर कुआ में डाल दिया। इस पर मृतक की पत्नी व अन्य गांव वाले खेत पर गये तो आम के पेड़ के नीचे खून हो रहा था, जिस पर पानी डाला हुआ था और खून की जगह से कुआ तक घसीटने के निशान थे। कुआ की मुन्डेर पर मफलर पड़ा था। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस आयी व कुआ का पानी तोड़ने पर लाश कुआ में नजर आयी, जिसे गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया तथा सिर में 4-5 जगह गम्भीर चोटें थी तथा तहरीरी रिपोर्ट में यह अंकित है कि 3 दिन पहले गुड्डीबाई व श्यामलाल ने गाली-गलौच की रिपोर्ट मृतक सियाराम के खिलाफ थाना सारोला में करायी थी और कार्तिक नाम का सिपाही गांव बोरखेड़ी में आकर समझा कर गया तथा तहरीरी रिपोर्टकर्ता पप्पूलाल गवाह पी.ड.-1 के रूप में परीक्षित हुआ है जो स्वयं द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 दर्ज करवाये जाने की ताईद करता है, लेकिन यह कहता है कि यह चांदनियाखेड़ी गांव में रहता है तथा प्रतिपरीक्षा में भी स्वीकार करता है कि इसका भाई इनके गांव से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहता है तथा स्वीकार करता है कि इसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई और इसके भाई की मृत्यु से पहले इसने अभियुक्त सोनू का नाम भी नहीं सुना था और ना देखा था और ना ही इसके भाई के गांव में आता-जाता था।

32- इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.-14 कस्तुरीबाई मृतक की माँ है, जो पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा इस बात को गलत ठहराती है कि मुलजिमान श्याम, सोनू व गुड्डीबाई ने मिलकर इसके लड़के सियाराम की हत्या की हो। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्षी पेश नहीं किया, जिसने कि मृतक को अन्तिम बार अभियुक्तगण के साथ देखा हो। यहां तक कि मृतक की पत्नी भी बतौर साक्षी परीक्षित नहीं हुई है, जिसके बारे में तहरीरी रिपोर्ट में यह अंकित है कि अभियुक्तगण गुड्डीबाई व श्याम ने उसे दूसरे दिन सुबह आकर बताया कि सियाराम खेत पर नहीं है, ना ही ऐसा कोई साक्षी पेश किया गया है, जिससे यह जाहिर हो कि घटना की रात्रि को मृतक सियाराम के साथ खेत पर मौजूद रहा हो या अन्य अभियुक्त रात्रि के समय रखवाली के लिये खेत पर गये हो या रहते हो। इस प्रकार अभियोजन की ओर से न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पेश हुआ है और ना ही अभियुक्तगण या मृतक को अन्तिम बार देखे जाने संबंधी कोई साक्ष्य पेश

हुई है। अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-15 राजीव परिहार की साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसने किस आधार पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया। अनुसंधान अधिकारी के अनुसार गिरफ्तारशुदा मुलजिम सोनू की निशानदेही से जरिये फर्द प्रदर्श पी.-17 एक लट्ठ मल्ड़ा में से निकालकर पेश किया, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.-18 बनाया गया तथा गिरफ्तारशुदा मुलजिम सोनू की निशानदेही से जरिये फर्द प्रदर्श पी.-19 मुलजिमा गुड्डीबाई के खेत पर बने कच्चे मकान से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद करवायी तथा बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.-20 बनाया गया तथा प्रदर्श पी.-14 व प्रदर्श पी.-15 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी रघुवीर सिंह, एस.आई. द्वारा गवाहान भोजराज कानि. व कार्तिक सिंह कानि. की मौजूदगी में अभियुक्त श्याम की निशानदेही से मृतक सियाराम के सरसों के खेत में से एक पत्थर बरामद किया गया। पी.ड.-8 भोजराज कानि. व पी.ड.-9 कार्तिक सिंह कानि ने भी उक्त फर्दों की व अभियुक्त श्याम की निशानदेही से एक पत्थर बरामद किये जाने की ताईद की है। यद्यपि गवाह पी.ड.-8 भोजराज कानि. ने यह स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल खुला हुआ स्थान था तथा गवाह पी.ड.-9 कार्तिक सिंह व पी.ड.-12 बालूराम कानि. द्वारा फर्द जब्ती लट्ठ मुलजिम सोनू व बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.-17 व प्रदर्श पी.-18 की व फर्द जब्ती मोटर साईकिल जरिये मुलजिम सोनू व बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.-19 व प्रदर्श पी.-20 की ताईद की है। अभियुक्तगण से बरामद किये गये पत्थर व लट्ठ के संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श सी.-2 का अवलोकन किया जाये, तो मुलजिम सोनू से जरिये फर्द प्रदर्श पी.-17 से बरामद किये गये लाठी मार्क जी पर बाद एफ.एस.एल. परीक्षण खून नहीं होना पाया। साथ ही जरिये फर्द प्रदर्श पी.-14 मृतक सियाराम के खेत से बरामद किया गया पत्थर मार्क एफ मानव रक्त की मौजूदगी पायी गयी। यद्यपि पाये गये मानव रक्त की मैल डी.एन.ए. प्रोफाईल अपूर्ण पायी गयी। इस प्रकार जहां तक अभियुक्त सोनू से बरामद की गयी लाठी का संबंध है, लाठी एक सामान्य प्रकृति की वस्तु है, जो सामान्यतया अधिकांश घरों में विशेषकर ग्रामीण घरों में पायी जाती है। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी.-17 द्वारा जब्त की गयी लाठी अभियुक्त सोनू की निशानदेही से बरामद किया जाना बताया है, लेकिन बरामदगी स्थल नई नहर खेरखेड़ा माल बताया गया है, जिससे जाहिर है कि प्रथमतः अभियुक्त सोनू के आधिपत्य से उक्त लाठी बरामद किया जाना ही साबित नहीं है तथा द्वितीयतः उक्त लाठी अपराध में प्रयुक्त की गयी थी, यह भी साबित करने में अभियोजन असफल रही है। जहां तक अभियुक्त श्याम की

निशानदेही से तथाकथित रूप से जरिये फर्द प्रदर्श पी.-14 से बरामद किया गया पत्थर मार्क एफ का संबंध है, यद्यपि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में उक्त पत्थर पर खून की मौजूदगी पायी गयी है, लेकिन उक्त पत्थर की बरामदगी भी मृतक सियाराम के खेत से ही हुई है। अतः यहां अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त् पत्थर की बरामदगी होना भी अभियोजन की ओर से दर्शित नहीं है। एक खुले स्थान से बरामद की गयी वस्तु को अभियुक्त के आधिपत्य से होना नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रदर्श पी.-19 के जरिये जब्त मोटर साईकिल के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सोनू की निशानदेही से अन्य सहअभियुक्ता गुड्डीबाई के खेत पर बने कच्चे मकान के कमरे में चौक में खड़ी मोटर साईकिल बरामद करायी गयी, उक्त मोटर साईकिल अपराध में कैसे प्रयुक्त की गयी और मुलजिम सोनू से मोटर साईकिल का क्या संबंध है, यह स्पष्ट करने के लिये कोई साक्ष्य अभियोजन ने पेश नहीं की है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य व अन्तिम बार मृतक को देखे जाने वाली साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाना दर्शाया है।

33- इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 सुप्रीम कोर्ट कैसेज (सी.आर.आई.), पेज 487** में यह अभिनिर्धारित किया है कि "जहां दोषसिद्धि पारस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहां पारिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रमाणिकता ऐसी होनी चाहिये कि उन परिस्थितियों को देखने से अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने के निष्कर्ष के अलावा अन्य कोई निष्कर्ष की संभावना सही प्रतीत नहीं होती हो व दोषसिद्धि हेतु साक्ष्य से परिस्थितियां ऐसी दर्शित होनी चाहिये, जिनसे अभियुक्त की दोषसिद्धि पूर्णतया स्थापित हो जाये।''

34- हस्तगत प्रकरण में भी पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में मात्र अभियुक्त श्याम से मृतक सियाराम के खेत से पत्थर बरामद किया जाना व अभियुक्त सोनू से नई नहर के पास एक लाठी बरामद किया जाना बताया है। इसी प्रकार **जॉर्ज बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य, 2023 सी.आर.एल.आर. एस.सी. 79** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खुले स्थान से बरामदगी, अभियुक्त के आधिपत्य से बरामदगी नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण में अभियोजन अपनी साक्ष्य से ऐसी श्रृंखलाबद्ध पारिस्थितिक साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित हो

कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक सियाराम की हत्या कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए ऐसी परिस्थितियों में मारपीट कर उपहतियां कारित की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्त सोनू सुमन द्वारा मृतक सियाराम के जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, उसकी हत्या कारित कर धारा 302 भा.दं.सं., जिसमें मृत्यु दण्ड तक की सजा का प्रावधान है, का अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण श्याम व सोनू सुमन को अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं अभियुक्त सोनू सुमन को अपराध अन्तर्गत धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण 1- श्याम पुत्र रमेशचन्द, उम्र 25 वर्ष, निवासी महूवाखेड़ा हाल निवास थाने के पास सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) व 2- सोनू सुमन पुत्र बाबूलाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी बालापुरा मोहल्ला, सारोला कलां, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. तथा अभियुक्त सोनू सुमन को अपराध अन्तर्गत धारा 3-2(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके बाबत् हाजिरी निरस्त किये जाते हैं।

2- प्रकरण में अभियुक्ता **श्रीमती गुड्डीबाई** पत्नी घनश्याम, उम्र 41 वर्ष, निवासी बोरखेड़ी हाल निवास थाने के पास सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) अभी मफरूर है। अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्ता की मफरूरी का लालस्याही से नोट अंकित किया जावे तथा पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

3- प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मृतक सियाराम के परिवारजन को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **28.04.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।